कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

3-4थी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग,
सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016

दिनांक: 11/03/2025

संदर्भ सं. एपीडा/सीएम/1/2025-बीएफडी

एपीडा के बाजार आसूचना प्रकोष्ठ को सुगम बनाने हेतु

निविदा आमंत्रण सूचना

*****

प्रशासनिक कारणों से, उपरोक्त विषय पर दिनांक 16/01/2025 की निविदा सूचना को निरस्त कर दिया गया है।

2. संलग्न नोटिस में दिए गए कार्यक्षेत्र के अनुसार, एपीडा के बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के संबंध में अनुभवी पेशेवर एजेंसियों से नई बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

3. संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा करने के लिए 17/03/2025 (सोमवार) को अपराह्न 2:30 बजे एपीडा के मुख्यालय में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।

4. विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जाए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

5. विधिवत पूर्ण बोलियां 25 मार्च 2025 (मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।

***

दिनांक:16/01/2025

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

3-4थी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग,
सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016

निविदा आमंत्रण सूचना

एपीडा के लिए बाजार आसूचना प्रकोष्ठ को सुगम बनाने के लिए मुहरबंद आमंत्रित बोलियां

1. परिचय:

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वाणिज्य विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कृषि और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन का एक प्रमुख संगठन है। यह बाजार विकास , गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन जैसी सेवाएं प्रदान करके इन उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करता है तथा वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है। एपीडा के अनुसूचित उत्पाद भारत से होने वाले कृषि निर्यात में आधे से अधिक योगदान देते हैं और इसमें ताजे फलों और सब्जियों से लेकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक की 17 व्यापक उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.apeda.gov.in देखें:

2. असाइन्मेंट के बारे में:

निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार , पेशेवर परामर्शदाता फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं जो एपीडा के लिए बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के संचालन में सहायता कर सकते हैं।

3. उद्देश्य:

भारत का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी घटक है , जो सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देता है। दूध, दालों और मसालों के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादक और चावल, गेहूं, कपास और ताजा उपज के मामले में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में , भारत वैश्विक कृषि निर्यात में अग्रणी होने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। हालाँकि, पिछले

पांच वर्षों में 4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ , भारत अभी भी अपनी निर्यात क्षमताओं को पूरी तरह से साकार नहीं कर पाया है। अपने प्रमुख उपायों में से एक के रूप में एपीडा बाजार आसूचना प्रकोष्ठ (एमआईसी) के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बाजार की प्रवृत्तियों पर नज़र रखना, कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करना और निर्यातकों के बीच इसका प्रसार करना है , जिससे भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि होगी और वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति मजबूत होगी।

4. बोलियां प्रस्तुत करने की पात्रता:

4.1 अनुभवी पेशेवर एजेंसियां , जो 1 अप्रैल 2019 या उससे पहले अस्तित्व में थीं और समान कार्य के निष्पादन में अनुभव रखने और उचित वित्तीय स्थिति रखने के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं , बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

4.2. पात्रता का मूल्यांकन:

एजेंसी का विवरण जैसे नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण सं., पैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर, वांछित क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों के नाम और वर्ष, अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उल्लेख किया जाएगा।

क्र. सं.	**पात्रता मानदंड**
4.2.1	एजेंसी एक प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्म होगी जो चिह्नित वैश्विक बाजारों में सूचना के प्रामाणिक स्रोतों तक पहुंच के साथ बाजार आसूचना जानकारी के विकास से संबंधित कार्य करेगी।
4.2.2	एजेंसी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान समान प्रकार के परामर्श संचालन से 3, 00, 00,000/- रु. (तीन करोड़ रुपये मात्र) की औसत वार्षिक परामर्श शुल्क अर्जित करना होगा। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। सीए से अनुलग्नक-2 में दिए अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
4.2.3	परामर्शदात्री फर्म को खादय एवं कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए।
4.2.4	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया होना चाहिए। अनुलग्नक-3 में दिए अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4.2.5	एजेंसी को टीम लीडर और टीम के एसोसिएट्स का बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा।
4.2.6	टीम लीडर के पास (क) कृषि/अर्थशास्त्र/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, और (ख) कृषि/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कंसल्टेंसी के न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

4.2.7	टीम एसोसिएट/सदस्य को कृषि/अर्थशास्त्र/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए या स्नातकोत्तर होना चाहिए , साथ ही व्यापार विश्लेषण , डब्ल्यूटीओ मुद्दों में विशेषज्ञता होनी चाहिए तथा व्यापार डेटा के विश्लेषण में कुशल होना चाहिए।

4.3 <u>आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति:</u>

4.3.1 आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क तथा बयाना राशि (ईएमडी) तकनीकी बोली के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए:

(i) "एपीडा" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में गैर-वापसी योग्य आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क रु. 10,000/- प्लस जीएसटी @ 18% = 1,800/- रु. कुल रु. 11,800/- (ग्यारह हजार आठ सौ रुपये)।

(ii) "एपीडा" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डीडी के रूप में देय 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये) की ब्याज मुक्त बयाना जमा राशि (ईएमडी)। असफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी को पैरा 4.3.4 के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा।

4.3.2.1 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगी।

4.3.2.2 सरकारी नियमों के अनुसार, एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति जमा करने से कोई छूट नहीं मिलेगी।

4.3.2.3 अनुबंध के मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) या 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) जो भी अधिक हो, कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति चयनित एजेंसी द्वारा जमा की जाएगी। अत: , चयनित एजेंसी से प्राप्त 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) की ईएमडी को कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि बोली मूल्य का 5% 2.00 लाख रुपये से अधिक होता है, तो एजेंसी को एपीडा के पक्ष में डीडी के रूप में दो लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। जिन दोनों राशियों को एक साथ लिया गया उनको कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति माना जाएगा। सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जाएगी।

5. कार्य-क्षेत्र:

परामर्शदात्री फर्म एपीडा के लिए बाजार आसूचना प्रकोष्ठ (एमआईसी) के रूप में कार्य करेगी। इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट में (i) एपीडा के चिह्नित फोकस उत्पादों और साथ ही (ii) निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्यों की सूची दी गई है। एमआईसी की ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार होंगी :

5.1 रिपोर्ट:

(क) आपूर्ति पक्ष की गतिशीलता:

(i) फसल प्रवृत्तियाँ (देशीय) - द्वितीयक अनुसंधान: भारत में चिह्नित फसलों (खरीफ और रबी मौसम के दौरान मासिक रिपोर्ट) पर एकड़ प्रवृत्तियाँ और जलवायु प्रभाव तथा चिह्नित उत्पादों के लिए प्रमुख बाजार।

(ii) फसल प्रवृत्तियाँ: (अंतर्राष्ट्रीय) - प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल उत्पादों (परिशिष्ट-1) का द्वितीयक अनुसंधान।

(iii) कमोडिटी किस्में: प्रमुख आयातक देशों में प्रमुख कमोडिटी की लोकप्रिय किस्मों का मानचित्रण (वार्षिक)

(iv) मूल्य निर्धारण विश्लेषण: मासिक आधार पर देशीय और वैश्विक कीमतों की निगरानी और पूर्वानुमान।

(v) प्रतिस्पर्धी विश्लेषण: बाजार हिस्सेदारी , टैरिफ और व्यापार समझौतों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत की स्थिति का आकलन (वार्षिक)।

(ख) मांग-पक्ष की गतिशीलता:

(i) नियोजित बाजार विश्लेषण: बाजार का आकार , प्रवृत्ति, प्रमुख परिवर्तन , उपभोक्ता अंतर्दृष्टि (आय , प्राथमिकताएं और व्यय पैटर्न) (वार्षिक)।

(ii) वैश्विक व्यापार अंतर्दृष्टि: मांग-आपूर्ति विश्लेषण, प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन।

(iii) व्यापार नीतियाँ: चिन्हित वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित करने वाले एफटीए, टैरिफ और एसपीएस/टीबीटी परिवर्तनों की निगरानी करना।

(iv) व्यापार सुविधा: भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संघों, व्यापार मेलों और खुदरा अवसरों की पहचान तथा एफटीए और व्यापार समझौतों (मासिक/वार्षिक) का लाभ उठाने के लिए सिफारिशें।

(ग) समष्टि-आर्थिक संकेतक:

नियोजित बाजारों और भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर , मुद्रास्फीति और विनिमय दर की प्रवृत्ति (तिमाही/मासिक)।

(घ) क्रेता-विक्रेता संबंध:

उत्पाद विनिर्देशों और संपर्क विवरण सहित खरीदारों , आयातकों, आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों की विस्तृत प्रोफाइल (वार्षिक)।

(ड.) त्वरित शोध रिपोर्ट:

प्रति माह दो तक वर्तमान विषयों पर त्वरित शोध , अनुरोध पर आयोजित किया जाएगा।

6. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:

(1) एजेंसी ऐसी किसी भी घटना को दर्ज करेगी और उसकी रिपोर्ट करेगी जो चिह्नित बाजारों में निर्यात के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। आपातकालीन स्थिति में, ऐसे डेटा को शीघ्र ही अध्यक्ष, एपीडा के ध्यान में लाया जाएगा।

(2) एजेंसी एपीडा को मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

(3) सभी रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाएंगी और वास्तविक समय के डेटा को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अपडेट की जाएंगी। एजेंसी के कर्मचारियों को एपीडा में प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, चयनित एजेंसी को परियोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एपीडा के साथ समय-समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेना होगा। टीम लीडर के स्तर पर बैठकों में भौतिक/आभासी मोड में शामिल होना होगा ।

(4) रिपोर्ट के निष्कर्षों और कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि पर विचार-विमर्श करने के लिए मासिक समीक्षा बैठकों के दौरान एमआईसी रिपोर्टों पर चर्चा की जाएगी।

7. अवधि:

एमआईसी का कार्य और संचालन 12 महीने की प्रारंभिक अवधि तक चलेगा तथा प्रदर्शन और परिणामों के आधार पर कार्यकाल को बढ़ाने की संभावना होगी।

8. चयन प्रक्रिया:

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक , प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन , चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक तालिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना तथा सफल एजेंसी की घोषणा करना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने के लिए कार्यवृत्त की प्रतिक्षा करें।

8.3 बोलियों का मूल्यांकन:

8.3.1. एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

चयनित एजेंसियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय से कम से कम 24 घंटे पहले अपना पीपीटी 'helpdesk@apeda.gov.in' और 'consbudget@apeda.gov.in' पर मेल करें या पेन ड्राइव में अपने साथ लाएं।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रेडेंशियल के लिए दिए जाएंगे:

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकतम अंक
I.	असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अवधारणा और कार्यप्रणाली , जिसमें एजेंसी की शक्तियों पर प्रकाश डाला गया हो , जिसमें बैक-एंड समर्थन भी शामिल हो।	30
II.	भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पांच वर्षों के दौरान समान कार्य करने का अनुभव: (क) तीन परियोजनाएँ -----------------------5 अंक (ख) चार परियोजनाएँ और इससे अधिक...........10 अंक	20

III.	टीम लीडर का अनुभव: (क) 10 वर्ष तक ……………4 अंक (ख) 10 वर्ष से अधिक ……….5 अंक	5
IV.	टीम एसोसिएट (एस) का अनुभव (ए) 3 वर्ष तक ………………4 अंक (बी) 3 वर्ष से अधिक …………5 अंक	10

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.4 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। क्यूसीबीएस पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)).

8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा , सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न , महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते

कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन:

10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10.2 दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

10.3 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.4 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.5 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों कर्मचारियों को एजेंसी/, उसके उप ठेकेदारों, उपएजेंटों-, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही, कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी , चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओई/एसआईसी सरकारी/ सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल/स्थानीय निकायों/विभागों हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार:

12.1 एपीडा का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल एपीडा की एकमात्र और अनन्य संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत प्रस्तुति/अनधिकृत उपयोग के लिए, एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

12.2.1 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.3 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

12.4 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. अनुबंध प्रदान करने पर एजेंसी की जिम्मेदारी:

13.1 बोली मूल्य के पांच प्रतिशत (5%) या 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) जो भी अधिक हो , कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति चयनित एजेंसी द्वारा जमा की जाएगी। चयनित एजेंसी से प्राप्त 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) की ईएमडी को कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% 2.00 लाख रुपये से अधिक होता है , तो चयनित एजेंसी को कार्य प्रदान करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर एपीडा के पक्ष में डीडी के रूप में दो लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा।

13.2 सभी संविदागत दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

14 भुगतान की शर्तें:

14.1 भुगतान खंड 13.1 में उल्लिखित कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति आवश्यकता की पूर्ति के बाद जारी किया जाएगा।

14.2 भुगतान मासिक आधार पर जारी किया जाएगा।

15. कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

16. तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:

(i) बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें यथाशीघ्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

(iii) बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

(iv) बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाएं।

(v) सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो , साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।

(vi) प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

(vii) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:

लिफाफा I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 11,800/- रुपये (ग्यारह हजार आठ सौ रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर “सियाल पेरिस 2024 के लिए आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी” अंकित हो।

लिफाफा –II लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक 1 (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
(ii) अनुलग्नक -4 (सीए प्रमाणपत्र)
(iii) अनुलग्नक -3 (कोई ब्लैक लिस्टेड घोषणा नहीं)

इस लिफाफे को मुहर बंद किया जाएगा और उसके ऊपर एपीडा के बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के लिए तकनीकी बोली लिखा जाएगा। ”

लिफाफा III: इस लिफाफे में अनुलग्नक 4 **(वित्तीय बोली)** होगा।

लिफाफा मुहर बंद हो और उस पर "एपीडा के बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के लिए वित्तीय बोली" लिखा हो।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: लिफाफे I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाएगा और फिर से मुहरबंद किया जाएगा। इस मास्टर लिफाफे पर निम्न लिखा हो:

“एपीडा के बाजार आसूचना प्रकोष्ठ के लिए तकनीकी बोली ” और इसे निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाएगा:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

महत्वपूर्ण तिथियां:

(1) बोली-पूर्व बैठक 17/03/2025 (सोमवार) को अपराह्न 2:30 बजे एपीडा, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

(2) विधिवत पूर्ण की गई बोलियां 25 मार्च 2025 (मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।

Table-1:**IdentifiedFocusProductsofAPEDAbasket.**

Category	Products
FreshFruits(6)	Banana,Mangoes,Pomegranates,Grapes,Pineapple,and Orange
FreshVegetables(3)	Potato,GreenChilly&CapsicumandOkra
OtherProcessed Foods (7)	Groundnuts,Foxnuts(Makhana).Preparationofsauces,juices and pulp, Cereal Preparations (Biscuits, Papad, Pasta etc.)
ProcessedFruit(1)	CucumberandGherkins
Cashew(1)	Cashew
AnimalProducts(4)	Honey,MilkProducts(Ghee,Paneer),TableEggs,BovineMeat
Cereals(1)	BasmatiRice,Non-Basmatirice,Maize
OrganicProducts	OrganicProducts

Table-2:**ListofKeyExportDestinations**

Region	Countries
Africa(5)	Egypt,SouthAfrica,Kenya,Senegal
EuropeanUnion(6)	Netherlands,Germany,France,Italy,Spain,Belgium
ASEAN(5)	Vietnam,Malaysia,Indonesia,Philippines,Singapore
MiddleEast(7)	SaudiArabia,UAE,Iraq,Iran,Oman,Qatar,Kuwait
NAFTA(2)	Canada,USA
LatinAmerica(1)	Brazil
CIS(3)	Russia,Uzbekistan,Georgia
SouthAsia(3)	Bangladesh,Nepal,Sri
NortheastAsia(3)	China,Japan,SouthKorea
OtherEuropeanCountries(3)	UK,Turkey
Oceania(1)	Australia

***

Annexure-1

TechnicalBidforMarketIntelligenceCellofAPEDA Details of Agency

S. No.	Particulars	Details	Page no.
1	NameofAgency		
2	AddressasperGSTRegistration (please attach documents)		
3	Name, designation and contact details of authorizedsignatoryincludingemailidand mobile/ telephone no. (PleaseattachAuthorizationLetter)		
4	DetailsofRegistration/AOA&MOA (Please Attach copy)		
5	GSTCertificateofBidderAgency (Please Attach copy)		
6	PanCardofBidderAgency (Please Attach copy)		
7	(i) DetailedProfileoftheAgency (ii) CVofTeamLeader (iii) CVofTeamAssociate/Member		
8	Details of Demand Draft for Non- Refundable ApplicationcumProcessingFeeofRs.11,800/- (Rupees Eleven Thousand Eight Hundred)		
9	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lakh) in favour of APEDA, New Delhi.		
10	"Certificateforexemptionfromsubmissionof EMD issued by NSIC and MSME (Pleaseattachaself-certifiedcopy)		
11	CACertificate (PleaseAttachdulyfilledinAnnexure-2)		
12	Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government organization. (As per Annexure-3)		

13	**TurnoverDetails** (AverageturnoverRs.3,00,00,000/-) (Rs.ThreeCrores)perannumfromsimilartype of consultancy services. The turnover shall be in thenameofapplicantorganisationonlyandnot that of group/ sister organisations. (Please attach CA certificate as per Annexure- 2)	Year	Turnover	
		2019-20		
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
14	**ExperienceDetails** Please attachcopies ofWorkOrders for execution of similar type of assignments	Year	WorkOrders	
		2019-20		
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		

ListofEnclosures:

Declaration

Iherebydeclareandconfirmthat alltheinformationprovidedaboveistrueandnothinghas been concealed.

Iagreetoabidebytheterms andconditionsmentionedinthebiddocument.

I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material informationordoneanyactoromissionagainsttheinterestofAPEDA,mycontractshallbe summarily terminated without any notice to me.

Iamauthorisedtosignallthedocumentsonbehalfofthefirm/agency.

SignatureofAuthorizedSignatory

(NameofAuthorizedSignatory)
Designation
E-mailID:
Tel. No.:
MobileNo.:
Sealoftheagency

Date:

Annexure-2

ProformaforCACertificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of ______________________(Name of CA Firm) do hereby confirmthatM/s.____(Bidder), a Proprietorship / Partnership/Companyhavingitsregisteredofficeat_________________________,havingPANNo. ____________________andGSTNo.______________________________________which isvalid from _________________________(copy attached) and hereby declare and affirm as under:

(1) ThattheConsultingFirmisinexistencefrom .... (date).

(2) That the details of the turnover from Consultancy Services (on the basis of thefinancial statements of the entity) are as follows:

S. No.	Financial Year	No.of assignments executed	Name(s)oftheOrganisation(s)	Turnover (in Rs.)
1	**2019-20**			
2	**2020-21**			
3	**2021-22**			
4	**2022-23**			
5	**2023-24**			

3. Thattheaboveworkwasobtainedintheconsultancyfirm'sownnameandthebilling /paymentwascollectedintheentity'sownbank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with booksofaccounts, 26AS statements, GST Returns and found them to be true and correct.

Counter-signed:

SignatureofAuthorized Signatory
NameofAuthorisedSignatory
Proprietor / Partner/ Director

CompanySeal

Signature:

Nameanddesignation

UDIN
Sealof CAfirm

ANNEXURE-3

(ontheLetterHeadoftheAgency)

To
TheSecretary, APEDA,
NewDelhi-110016

Subject:DeclarationfornotbeingBlack-Listed

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, dated………I, …… (Name and designation of the Authorised Signatory) hereby declare and confirm that … (Name of the Agency)hasnotbeenblack-listedordeclaredasineligiblebytheCentralGovernment/State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or anyunethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature

(NameofAuthorisedSignatory)

Designation:

SealoftheAgency

Date:

Place:

Annexure-4

FINANCIALBID

To

The Secretary,
APEDA,NewDelhi.

Sir,

We,M/s.(Nameofthefirm)offertoundertake**OperationsofMarketIntelligenceCellof APEDA**inaccordancewiththebidnotice.OurFinancialBid againsttheScopeofWorkis submitted hereunder.

Sr. No.	**Activity/Component**	**Amount in Rs.**
1	Annual Cost for the research and analytical services and generation of Report for all the parameters mentioned in the Scope of Work	
2	**AmountofApplicabletaxes**	
3	**TotalAmount(withtaxes)**	

Note: The Financial bid is inclusive of the expenditure on anythird-party subscriptions that may be required for generating Reports for Market Intelligence.

TotalAmountinwords:Rupees….

SignatureofAuthorisedSignatory

(NameofAuthorizedSignatory)
DesignationSealo
ftheagency

Date:

Sealoftheag
ency